न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2018

प्रार्थीगण

1. भंवरलाल पूत्र मानाराम
2. किशोर कुमार पुत्र मानाराम समस्त जातियान रावल ब्राहम्ण निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा

अप्रार्थीगण

1. भरतकुमार पुत्र रूपा
2. मफा पुत्र किस्तुरा
3. रेवा पुत्र किस्तुरा
4. मगा पुत्र किस्तुरा
5. सणगी बेवा किस्तुरा
6. भरत पुत्र रूपा
7. प्रकाश पुत्र रूपा
8. प्रवीण पुत्र रूपा
9. सुमित्रा पुत्री रमेश
10. लता पुत्री रमेश
11. केसी बेवा रूपा समस्त जातियान रावल ब्राहम्ण निवासी रानीवाडा खुर्द
12. गंगादेवी पत्नि तलछाराम कौम कलबी निवासी रानीवाडा खुर्द
13. श्रीमान तहसीदार रानीवाडा
14. रेवा पुत्र रामजी जाति रेबारी निवासी रानीवाडा खुर्द
15. शाखा प्रबंधक महोदय आई.सी. आई.सी आई बैक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग
2. अप्रार्थी संख्या 13 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक –22.12.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा प्रार्थीगण की कब्जासुदा पुश्तेनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 602, 603, 604 जूमले रकबा 2.88 हेक्टेयर है। उनके पड़ौस में खसरा नम्बर 496 रकबा 1.15 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.99 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 490 रकबा 0.97 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम है। जो उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की है तथा राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम दर्ज [illegible] प्रकार खसरा नम्बर 2609/503 रकबा 0.50 हेक्टेयर किस्म [illegible] 2610/504 रकबा 0.03 हेक्टेयर किस्म गै.मू. नाला, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.03 हेक्टेयर किस्म गै.मू. नाला, खसरा नम्बर 2611/507 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम है। परिशिष्ट में बिन्दु ए से बी तक लाल स्याही से आवागमनित रास्ते को दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:41 IST
Reason: SelfAttested

आवागमनित रास्ते को जिन खसरानों में से होकर दर्शाया गया है। उनके खसरा नबंर 490 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 495 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 496 रकबा 1.15 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2609/503 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 2610/504 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला तथा खसरा नबंर 2611/507 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नबंर 506 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 तक की खातेदारी आराजी में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 तक राजस्व रेकर्ड में आवागमनित रास्ता नहीं होने से उक्त आराजी में से आवागमन करने से रोक रहे है। तथा राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने का हवाला भी दे रहे है। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रार्थीगणों को आवागमनित रास्ता परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार नहीं दिया गया तो उक्त खातेदारी में काश्त करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। काश्त के अभाव में प्रार्थीगणों के परिवार के भुख मरने की नौबत आ जायेगी। बच्चों की पढाई चौपट हो जायेगी तथा अन्य कृषि कार्य संभव नहीं हो पायेगे। परिशिष्ट में दर्शाया रास्ता बिलेश्वर महादेव से भीनमाल रोड जाने वाले मुख्य रास्ते से मिलता है।

2. प्रार्थीगणों ने आज से 1 वर्ष पूर्व भी अप्रार्थीगणों से आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया था, लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने तथा कार्यवाही हो चाहे वो कर लो रास्ता नहीं मिलेगाा। उल्टे मारपीट करने की धमकी दी जा रही है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना पत्र बाबत खातेदार को रास्ता पेश करना न्याय हित में अनिवार्य हो गया है। अप्रार्थी संख्या 12 सुरता वल्द लीला कौम कलबी निवासी मेडा ने उक्त आराजी तेजाराम, रमेश कुमार, कांतिलाल पिसरान शंकरा कौम रावल ब्राहम्ण निवासी रानीवाडाखुर्द वालों से दिनांक 5.12.2017 को जरिये बैचान के खरीद फरोख्त की है। पूर्व में खातेदार रावल ब्राहम्ण थे, जो प्रार्थीगणों के रिश्तेदार थे, वर्तमान में नया खातेदार सुरता वल्द लीला कौम कलबी किसी भी परिस्थिति में रास्ता देने को तैयार नहीं है तथा आये दिन रास्ते को किसी प्रकार से देने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित एवं वैध है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रानीवाडाखुर्द के खसरा नबंर 602, 603, 604 जुमले रकबा 2.88 हैक्टर में आवागमन बाबत् अप्रार्थीगणों के खसरा नबंर 490, 495, 496, 2609/503, 2610/504, 2611/507 एवं 506 में परिशिष्ट में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु ए से बी तक रास्ता दिलवाने का आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। दिनांक 04.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय रानीवाडा खुर्द में आपसी राजीनाम से रास्ता देने हेतु आवेदन पत्र व राजीनामा पेश किया गया था। अप्रार्थी संख्या 13 राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कि गई। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ,14 व 15 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. अप्रार्थी संख्या 13 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द के प्रार्थीगण भंवरलाल वगैरा के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 601, 602, 603, 604 कुल रकबा 2.88 हेक्टेयर भूमि रेकर्ड में दर्ज है। जिसमें जाने हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है एवं रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार मौके की जांच कर रेकर्ड से मिलान किया गया। अप्रार्थी भरत कुमार वगैरा के खेत खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 490, 495, 496, 2609/503, 2610/504, 2611/507 व 506 है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर [illegible] खातेदारी भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। उक्त खसरों [illegible] में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग/सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 509 [illegible] गै.मू. रास्ता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 2765/2612, [illegible] 2610, 2763/2609, 2766/506, 2685/496, 2684/495 रकबा क्रमशः 0.01, [illegible]01, 0.04, 0.01, 0.02, 0.02 हेक्टेयर भूमि तक रास्ता तरमीम व खातेदारी दर्ज है। जो रास्ते हेतु प्रस्तावित है। इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.12.31 14:50:26 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 490 में से रकबा 0.0208 रास्ते हेतु प्रस्तावित है। कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.1308 हेक्टेयर भूमि आती है। वर्तमान डी.एल.सी. सिंचित दर 642070/— रूपये प्रति हेक्टेयर है। व कुल प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि 167965 /— रूपये बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्षादि/पहाड़/नाडी नहीं है।

5. हमने पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा 601, 602, 603, 604 कुल रकबा 2.88 हेक्टेयर भूमि हेक्टेयर मौजा रानीवाडा खुर्द की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 427 में दर्ज है। मौजा रानीवाडा खुर्द के जमाबंदी संवत 2070—73 में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 व 14 के नाम से खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2765/2611, 2764/2610, 2763/2609, 2766/506, 2685/496, 2684/495, 490 रकबा क्रमश 0.01, 0.01, 0.04, 0.01, 0.02, 0.02, 0.97 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरों के आगे सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 509 गे.मू. रास्ता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 602, 603, 604 के बीच में रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी में खसरा नम्बर 2765/2611, 2764/2610, 2763/2609, 2766/506, 2685/496, 2684/495 रकबा क्रमश 0.01, 0.01, 0.04, 0.01, 0.02, 0.02 व खसरा नम्बर 490 में से 52 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 208 वर्गमीटर है, जिस में से आवागमन हेतु कुल 0.1308 हेक्टेयर अर्थात 1308 वर्गमीटर आराजी की आवश्यकता होगी। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी 602, 603, 604 में आवागमन कर सकेगा। जिस में से अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय रानीवाडा खुर्द में आपसी राजीनाम से रास्ता देने हेतु राजीनामा पेश किया गया था। तथा अन्य खातेदार द्वारा न्यायालय में किसी तरह की कोई आपत्ति पेश नही की गई है। तहसीलदार रानीवाडा के जवाब में प्रार्थीगण को रास्तें की अत्यांतिक आवश्यकता व अन्य कोई मार्ग नहीं होना बताया। एवं खसरा संख्या 2765/2611, 2764/2610, 2763/2609, 2766/506, 2685/496, 2684/495, 490 रकबा क्रमश 0.01, 0.01, 0.04, 0.01, 0.02, 0.02 ,0.0208 हैक्ट. कुल रकबा 0.1308 हेक्टेयर भूमि आती है। वर्तमान डी.एल.सी. सिंचित दर 642070/— रूपये प्रति हेक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य प्रतित होने से स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 602, 603, 604 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2765/2611, 2764/2610, 2763/2609, 2685/496, 2684/495, 490 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिसमें खसरा नम्बर 2765/2611, 2764/2610, 2763/2609, 2766/506, 2685/496, 2684/495 का पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 490 में से 52 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 208 वर्गमीटर आराजी है। जो प्रार्थीगण की आराजी से जोडता है। उक्त खसरान के आगे खसरा नम्बर 509 किस्म गै.मू. रास्ता है। उक्त रास्ते में से वर्तमान में आवागमन हो रहा है। उक्त खसरान की डी.एल.सी दर 642070 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्धि हो [illegible] उस [illegible] दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 12 व 14 के हिस्से [illegible]नुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार [illegible] को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम [illegible]री करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:41 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 12 व 14 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से राजस्व रेकर्ड किस्म गैर मूमकिन रास्ता इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्‌ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:41 IST
Reason: SelfAttested